

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग


क्रमांक: आईडीएसपी/कोरोना/2021/74

दिनांक: 12.04.2021

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2020 जयपुर दिनांक 26.11.2020/28.11.2020 द्वारा Low Risk कोविड-19 रोगियो जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, आवश्यक दवाईयां (Injectable) देने हेतु ही अस्पताल में भर्ती रखा जा रहा है तथा रोगियो व उनके परिजनों में अस्पताल आने संबंधि अनावश्यक मानसिक तनाव/अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, के समाधान हेतु ऐसे रोगियो को अस्पताल में भर्ती करने के स्थान पर डे-केयर की तर्ज पर Observation में रखते हुए आवश्यक दवाईयां (Injectable) लगाकर घर भेजने हेतु निर्देशित किया गया था।


उक्त आदेश की निरन्तरता में पुनः निर्देशित किया जाता है कि पत्र में वर्णित संपूर्ण दिशा निर्देशो की पालना सुनिश्चित करें।

 12/4/21

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान
2. विशिष्ट सहायक, मा0 चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान
3. विशिष्ट सहायक, मा0 चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान
7. मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
9. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज राजस्थान
10. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
11. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान
12. समस्त प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
13. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
14. समस्त निजी निजी मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, राजस्थान
15. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर।
16. निजी/रक्षित/कम्प्यूटर सैल।
17. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करे।


निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।